



AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR

JODHPUR 342304, Rajasthan, India

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

जोधपुर 342304 राजस्थान, भारत

Tele fax : 0291-2570711(O) E-mail: comptrollerfin@gmail.com

F.3 ()/Acctt./AUJ/ 2025-26/ 96

Date : 30.05.2025

—:दर प्रस्ताव आमंत्रण:—

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत राजस्थान राज्य सूचना आयोग, जयपुर में अपीलों/प्रकरणों में विश्वविद्यालय का पक्ष रखने हेतु दो अधिवक्ताओं का पैनल नियुक्त किया जाना है। अतः अनुभवी अधिवक्ताओं से प्रति अपील/प्रकरण दर राशि का प्रस्ताव आमंत्रित किया जाता है।

इच्छुक अधिवक्ता दिनांक 06.06.25 तक रजिस्ट्रीकृत डाक के माध्यम से प्रस्ताव कुलसचिव, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर को भेज सकते हैं। अन्तिम दिनांक के बाद प्राप्त प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

इस प्रस्ताव के लिए आवश्यक शर्तें निम्नानुसार हैं :-

1. अधिवक्तागण को दिनांक 31.12.2024 तक पांच वर्ष का प्रैक्टिस (आर.टी.आई. अपीलों) में अनुभव आवश्यक है।
2. अधिवक्ता का चयन कमेटी के अनुमोदनार्थ उपरान्त किया जाएगा। तथा कमेटी चयन के पात्र अधिवक्ताओं में से दो अधिवक्ताओं के पैनल का चयन करेगी।
3. अधिवक्ता को अपीलों/प्रकरणों के निस्तारण उपरांत भुगतान निर्धारित दर पर बिल के साथ अपील/प्रकरण के निस्तारण की निर्णय प्रति प्रस्तुत करने पर नियमानुसार आयकर कटौति कर किया जाएगा।
4. इन पैनल अधिवक्ता की नियुक्ति, नियुक्ति से 1 वर्ष के लिए की जाएगी तथा सहमति आधार पर अधिकतम एक वर्ष के लिए आगे बढ़ायी जा सकेगी।
5. अधिवक्ता अपने प्रस्ताव में दरें समस्त करें सहित प्रति अपील/प्रकरण के निस्तारण हेतु देंगे।
6. अनुमोदित दरों के अलावा अधिवक्ता को किसी भी प्रकार का अन्य व्यय स्वीकृत नहीं किया जाएगा जैसे – स्टेशनरी, यात्रा व्यय, इत्यादि।
7. अधिवक्ता किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय के विरुद्ध पैरवी नहीं करेंगे। यह ज्ञात होने अधिवक्ता को पैनल से तुरंत प्रभाव से हटा दिया जाएगा।

दर प्रस्ताव फॉर्मेट

1.	नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	वर्तमान पता	
4.	स्थायी पता	
5.	मोबाईल नम्बर	
6.	रजिस्ट्रेशन नम्बर	
7.	अनुभव (प्रमाण पत्र संलग्न करें)	
8.	पैन संख्या	
9.	दर प्रति अपील/प्रकरण (₹)	
10.	अन्य	


विद्य. नियंत्रक
COMPTROLLER
Agriculture University
Jodhpur